संख्या- 24/413/बयालिस-2015-104(विविध)/2014

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 29 मार्च, 2015**

विषय- मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा के क्रम में के0डी0 सिंह बाबू स्टेडियम,लखनऊ में इण्डोर बाक्सिंग हाल के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी 1160/2014-15, दिनांक 06 फरवरी,2015 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय के0डी0 सिंह बाबू स्टेडियम,लखनऊ में इण्डोर बाक्सिंग हाल के निर्माण हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यकंन प्रभाग द्वारा आकंलित लागत रू0 898.31 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय वर्ष- 2014-15 में बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष सहमति प्रदान करते है।

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 200.00 लाख निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त स्वीकृत धनराशि परिव्यय एवं बजट सीमा के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है।

(2)- प्रायोजना अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक वैधानिक अनापत्तिया एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा

(3)- प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानों को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था का होगा।

(4)- प्रभाग द्वारा प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये। उक्त कार्य की वर्तमान एवं भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इसे निदेशक, खेल द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाये।

(5)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। कार्य निर्धारित विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता के अनुसार पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)- प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(7)- प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन न हो अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(7) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(8)- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग- 6 के अध्याय- 12 के प्रस्तर- 318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9)- कार्य की विशिष्टियां तथा मानक व गुणवत्ता तथा मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, खेल एवं निर्माण संस्था का होगा ।

(10)- लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी ।

(11)- स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकता अनुसार किया जायेगा।

(2)- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2014-15 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक- 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-13-के0डी0 सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में बाक्सिंग हाल का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3)- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अर्द्धशा0 पंजी संख्या- ई-5- 467/दस-2015, दिनांक 27 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

अनिल कुमार
अनु सचिव।

<u>संख्या- 413(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, लखनऊ।
(5)- निदेशक, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
(7)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, लखनऊ।
(8)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(9)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
(10)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in